



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 66915

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10750 सन् 2026

विशाल

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- मोहद. शब्बीर, मोहद. तस्लीम

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -65

(क्रम संख्या 9, कुल 315 में से)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची पुनः पुकारी गई।
2. श्री मोहद. शब्बीर, विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से, श्री अनिल कुमार दुबे, विद्वान अधिवक्ता को सूचनादाता की ओर से, श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख पर प्रस्तुत अंतर्वस्तु का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचारण की लंबित अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 0029 सन् 2026, धाराएँ 64(2)(m), 351(2), 351(4), 65(1), 333 बी.एन.एस. तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2), 5(L)/6, पुलिस थाना बहेड़ी, जिला बरेली में जमानत का इच्छुक है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है। विद्यालय प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता लगभग 15 वर्ष की है, जिसकी कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है क्योंकि यह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम की धारा 94 से प्रभावित है। आवेदक पर कथित रूप से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सहवास के उक्त कृत्य को वीडियो में रिकॉर्ड करने और उसे ब्लैकमेल करने का आरोप है, किंतु उक्त आरोप असत्य हैं क्योंकि किसी भी वीडियो की कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 15.01.2026 से कारागार में है। वह विचारण में सहयोग करने तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करने का वचन देता है।

5. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया किंतु आवेदक के अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण का खंडन नहीं कर सके।

6. पी. युवप्रकाश बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व राज्य, एआईआर 2023 एससी 3525 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पीड़िता के जन्म से संबंधित अभिलेखों के अभाव में, पीड़िता की आयु निर्धारित करने के लिए संबंधित परीक्षा बोर्ड के मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण-पत्र अथवा किसी निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत के प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

7. सहमतिपूर्ण संबंधों के आपराधीकरण के विषय पर उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनुरुद्ध एवं अन्य, 2026 आईएनएससी 47* के पैरा-19 में निम्नवत कहा है:-

"19. जैसा कि ऊपर निकाले गए निष्कर्ष दर्शाते हैं, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को विद्यमान क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण तथा तत्परिणामस्वरूप उचित निर्देशों के अभाव के आधार पर अपास्त किया जाना आवश्यक है। इसे इसलिए भी अपास्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह जे.जे. अधिनियम के वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध जाता है। यथापि, यह न्यायालय इस आदेश के सुविचारित अभिप्राय की दृष्टि नहीं खोता। पॉक्सो अधिनियम आज के बच्चों और कल के नेताओं की सुरक्षा के लक्ष्य से न्याय की सर्वाधिक गंभीर अभिव्यक्तियों में से एक है। तथापि, जब इतने उदात्त और यहाँ तक कि मौलिक सदाशय के किसी उपकरण का दुरुपयोग, दुरुप्रयोग किया जाता है और इसे प्रतिशोध के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो न्याय की अवधारणा स्वयं विकृति के कगार पर आ जाती है। न्यायालयों ने अनेक प्रकरणों में इस स्थिति के प्रति सचेत किया है। पॉक्सो अधिनियम के दुरुपयोग से एक भयावह सामाजिक विषमता उजागर होती है - एक ओर बच्चे भय से मौन हो जाते हैं और उनके परिवार निर्धनता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



या कलंक के भय से बाधित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि न्याय दूर और अनिश्चित बना रहता है, और दूसरी ओर, विशेषाधिकार, साक्षरता, सामाजिक और मौद्रिक पूँजी से सम्पन्न लोग कानून को अपने लाभ के लिए प्रयोग करने में सक्षम हैं। आक्षेपित निर्णय उन अनेक निर्णयों में से एक है जहाँ न्यायालयों ने अपनी बात कही है। न केवल ऐसे उदाहरण बहुत हैं जहाँ पीड़िता की आयु को इस कानून के कठोर प्रावधानों के अंतर्गत घटना लाने के लिए गलत बताया जाता है, बल्कि अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ इस कानून का उपयोग परिवारों द्वारा युवा लोगों के बीच संबंधों के विरोध में किया जाता है। सतीश उर्फ चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 18596 सन् 2024 में उच्च न्यायालय ने नोट किया कि कुछ अवसरों पर किशोरों के बीच सहमतिपूर्ण संबंधों की स्थिति में सहमति से वयस्क पर अधिनियम के प्रयोग के संबंध में न्यायालय द्वारा चिंता व्यक्त की गई थी, चार कारकों को उजागर किया गया है जो न्यायालयों के लिए विचार करना महत्वपूर्ण है :

'क. संदर्भ का आकलन करें: प्रत्येक प्रकरण का मूल्यांकन उसके व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। संबंध की प्रकृति और दोनों पक्षों के आशयों की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए।

ख. पीड़ित के बयान पर विचार करें: कथित पीड़ित के बयान पर उचित विचार किया जाना चाहिए। यदि संबंध सहमतिपूर्ण है और पारस्परिक स्नेह पर आधारित है, तो इसे जमानत और अभियोजन के संबंध में निर्णयों में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ग. न्याय की विकृति से बचें: संबंध की सहमतिपूर्ण प्रकृति को नजरअंदाज करने से अन्यायपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, जैसे अन्यायपूर्ण कारावास। न्यायिक प्रणाली को कुछ संदर्भों में नाबालिगों की स्वायत्तता की पहचान के साथ नाबालिगों की सुरक्षा को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ आयु एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरती है।

घ. न्यायिक विवेक: न्यायालयों को अपने विवेक का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि पॉक्सो का प्रयोग अनजाने में उन्हीं व्यक्तियों को हानि न पहुँचाए जिनकी रक्षा करने का इसका उद्देश्य है।'

[देखें: *मृगराज गौतम @ रिप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* 2023:AHC:204171]



दिल्ली उच्च न्यायालय ने **साहिल बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली 2024:DHC:6100** के पैरा 11 में नोट किया कि किसी लड़की के परिवार की एक युवा लड़के से रोमांटिक संबंध पर आपत्ति पर दाखिल पॉक्सो के प्रकरण सामान्य हो गए हैं और फलस्वरूप ये युवा लड़के कारागारों में बंद रहते हैं। उसमें गुजरात उच्च न्यायालय के एक आदेश (**जयंतीभाई बाबूभाई अलानी बनाम गुजरात राज्य, 2018 एससीसी एण्ड ऑनलाइन गुजरात 1223**) का भी संदर्भ है, जहाँ न्यायालय ने अभियोक्त्री और अभियुक्त की आयु में निकटता तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह अपनी इच्छा से घर से निकली थी, अभिनिर्धारित किया कि आवेदन विचारण के योग्य था।"

8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि विवेचना अधिकारी द्वारा किसी वीडियो की कोई बरामदगी नहीं हुई है, एवं प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय प्रथम दृष्टया इस मत का है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. आवेदक **विशाल** को, प्रतिभूतियों के सत्यापन के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत मुचलके तथा दो प्रतिभूतियों पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को आतंकित करेगा तथा आवश्यकतानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

10. किसी भी शर्त के उल्लंघन से जमानत का निरस्तीकरण होगा। इसमें की गई टिप्पणियाँ गुण-दोष पर विचारण को प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

(रवि कांत)